

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या:- 976/सत्ताईस-1-2024-27-1001(010)/4/2024
लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2024

कार्यालय-आदेश


एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के श्री रजनी कान्त अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा का शासन के कार्यालय आदेश संख्या:-679063/सत्ताईस-1-2024-27-1001 (010)/5/2024, दिनांक:-28.06.2024 द्वारा कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ में किये गये स्थानान्तरण आदेश को संशोधित करते हुए सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच में तैनात किया जाता है।

2- उक्त अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक, शासन/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायें।

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार, उ0 प्र0, प्रयागराज।
 2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ0 प्र0।
 3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
 4. समस्त विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
 5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 6. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
 7. मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 8. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 9. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 10. सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 11. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-5/6
 12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सिद्धाशरण पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।